



2026:AHC:19424

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक विविध जमानत प्रार्थनापत्र संख्या - 2725/2026

गुलशेर खान

..... प्रार्थी(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

..... विपक्षी(गण)

प्रार्थी(गण) के अधिवक्ता :- सोनू मलिक

विपक्षी(गण) के अधिवक्ता :- जी.ए.

न्यायालय संख्या - 65

माननीय न्यायमूर्ति डॉ. गौतम चौधरी

1. सूचनाकर्ता की ओर से श्री सौरभ चतुर्वेदी द्वारा दाखिल वकालतनामा अभिलेख पर लिया गया।
2. प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता, राज्य की ओर से विद्वान ए.जी.ए. तथा सूचनाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री सौरभ चतुर्वेदी का पक्ष रखते हुए विद्वान अधिवक्ता श्री सुनील कुमार दुबे को सुना गया तथा अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री का अवलोकन किया गया।
3. प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि प्रार्थी के विरुद्ध यह आरोप है कि उसने अपनी सगी पुत्री के साथ बलात्कार किया। पीड़िता ने बी.एन.एस.एस. की धारा 180 एवं 183 के अंतर्गत दर्ज अपने बयानों में अभियोजन के कथन का समर्थन किया है। अभियोजन के अनुसार पीड़िता की आयु 16 वर्ष है। आगे यह भी प्रस्तुत किया गया कि कथित घटना दिनांक 12.09.2025 की है, जिसके संबंध में एफआईआर दिनांक 15.09.2025 को दर्ज की गई तथा पीड़िता का चिकित्सीय परीक्षण दिनांक 16.09.2025 को किया गया, जिसमें चिकित्सक द्वारा उसके शरीर पर कोई ताज़ा बाहरी या आंतरिक चोट नहीं पाई गई तथा योनि स्वैब में कोई शुक्राणु नहीं पाया गया। अतः, यद्यपि पीड़िता का शीघ्र चिकित्सीय परीक्षण किया गया, तथापि

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



चिकित्सीय साक्ष्य जबरन बलात्कार के आरोप का समर्थन नहीं करता। अतः यह तर्क दिया गया कि यह झूठा फँसाने का मामला है तथा प्रार्थी को दुर्भावना एवं कुटिल मंशा के कारण असत्य एवं निराधार आरोपों के आधार पर फँसाया गया है। प्रार्थी के विरुद्ध लगाए गए आरोपों की असत्यता दर्शाने हेतु अन्य कई तर्क भी न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किए गए हैं तथा वे परिस्थितियाँ भी बताई गई हैं, जिनके कारण, अधिवक्ता के अनुसार, प्रार्थी को झूठा फँसाया गया है। यह भी आश्वासन दिया गया कि प्रार्थी विधि की प्रक्रिया में पूर्ण सहयोग करेगा, न्यायालय द्वारा जब भी आवश्यक होगा उपस्थित रहेगा तथा न्यायालय द्वारा लगाए जाने वाले सभी शर्तों का पालन करने को तैयार है। आगे यह भी कहा गया कि प्रार्थी दिनांक 21.09.2025 से जेल में निरुद्ध है तथा उसका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है।

4. इसके विपरीत, विद्वान ए.जी.ए. तथा सूचनाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने जमानत प्रार्थना का यह कहते हुए विरोध किया कि विचारण से पूर्व चरण में प्रार्थी की निर्दोषता का निर्धारण नहीं किया जा सकता, अतः उसे कोई राहत प्रदान नहीं की जानी चाहिए।

5. मामले के समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों, आरोपों की प्रकृति तथा अपराध की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए तथा मामले के गुण-दोष गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त किए बिना, यह न्यायालय का विचार है कि प्रार्थी ने जमानत दिए जाने का पर्याप्त आधार प्रस्तुत किया है। तदनुसार जमानत प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाता है।

6. अतः, प्रार्थी गुलशेर खान को मुकदमा अपराध संख्या 248/2025, धारा 64(2)(एफ), 351(3) बी.एन.एस., थाना ददाओं, जनपद अलीगढ़ में, संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुसार समान राशि के व्यक्तिगत बंधपत्र एवं दो स्थानीय जमानतदार प्रस्तुत करने पर, निम्नलिखित शर्तों के साथ जमानत पर रिहा किया जाए—

- i) प्रार्थी अभियोजन साक्ष्य से छेड़छाड़ नहीं करेगा।
- ii) प्रार्थी अभियोजन साक्षियों को धमकाएगा या परेशान नहीं करेगा।
- iii) प्रार्थी विचारण न्यायालय द्वारा नियत तिथियों पर उपस्थित रहेगा।
- iv) प्रार्थी उस अपराध के समान कोई अन्य अपराध नहीं करेगा, जिसके लिए वह अभियुक्त है या संदेह के अधीन है।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



v) प्रार्थी किसी भी ऐसे व्यक्ति को, जो मामले के तथ्यों से परिचित हो, प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से कोई प्रलोभन, धमकी या वादा नहीं करेगा, जिससे वह व्यक्ति न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष तथ्य उजागर करने से विमुख हो जाए अथवा साक्ष्य से छेड़छाड़ हो।

7. उपर्युक्त किसी भी शर्त के उल्लंघन की स्थिति में, संबंधित न्यायालय को विधि के अनुसार प्रार्थी की जमानत निरस्त करने की स्वतंत्रता होगी।

8. संबंधित विचारण न्यायालय को निर्देशित किया जाता है कि वह विचारण को यथाशीघ्र समाप्त करने हेतु सभी संभव प्रयास/प्रयत्न करे।

(माननीय न्यायमूर्ति डॉ. गौतम चौधरी)

28 जनवरी, 2026

मुस्तकीम